

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 31

आर्थिक कार्य विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व पूंजी जोड़	454.65	1305.03	1759.68	265.93	1258.14	1524.07	2436.38	1511.24	3947.62
	...	431.56	431.56	...	273.48	273.48	...	257.02	257.02
	454.65	1736.59	2191.24	265.93	1531.62	1797.55	2436.38	1768.26	4204.64
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं अन्य राजकोषीय सेवाएं	2052	...	35.77	35.77	...	34.43	34.43	...	36.42
2. राष्ट्रीय बचत संगठन	2047	...	19.21	19.21	...	18.02	18.02	...	12.79
3. अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना, 1974 के अन्तर्गत जमा रकम पर ब्याज	2047	...	3.00	3.00	...	2.00	2.00	...	2.00
4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की वर्धित संरचनात्मक समायोजना सुविधा न्यास के आर्थिक सहायता लेखे में अंशदान	2047	...	4.80	4.80	...	4.87	4.87	...	4.84
5. अन्य व्यय	2047	...	13.93	13.93	...	13.18	13.18	...	10.92
अन्य प्रशासनिक सेवाएं									
6. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण संबंधी अपीलीय प्राधिकरण	2070	...	1.52	1.52	...	1.36	1.36	...	1.51
7. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड	2070	...	9.20	9.20	...	6.29	6.29	...	7.38
8. ऋण वसूली न्यायाधिकरण	2070	...	18.56	18.56	...	17.13	17.13	...	19.68
9. बारहवां वेतन आयोग	2070	6.63	6.63	...	8.35
10. बीमा विकास और विनियामक प्राधिकरण को सहायता अनुदान	2070	...	2.84	2.84	...	0.01	0.01	...	0.01
11. पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण	2070	1.00
12. अन्य व्यय	2070	...	0.50	0.50	...	0.45	0.45	...	0.50
13. राष्ट्रीय बचत संगठन में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कार्यान्वयन हेतु एक मुश्त प्रावधान	2070	12.00	12.00
विविध सामान्य सेवाएं									
14. अन्य कार्यक्रम	2075	4.65	0.02	4.67	1.93	0.02	1.95	3.38	0.02
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण									
15. जी.आई.सी., आदि के माध्यम से गरीबों के लिए बीमा योजनाएं									
15.01 झोपड़ी बीमा योजना	2235	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
16. नवम्बर 1984 दगों से प्रभावित व्यक्तियों को ऋण पर ब्याज राहत	2235	...	0.80	0.80	0.01
17. सरकारी कर्मचारियों हेतु पेंशन निधि में अंशदान	2235	24.00	24.00
18. अन्य व्यय	2235	...	0.25	0.25	...	0.20	0.20	...	0.20
19. केंद्रीय सड़क निधि									
19.01 केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण	3054	450.00	...	450.00	264.00	...	264.00	433.00	...
19.02 मोटर स्फिरिट तथा हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त लेवी के प्रति रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए अंशदान	3054	450.00	...	450.00	264.00	...	264.00	433.00	...
19.03 घटाइए-केंद्रीय सड़क निधि से पूर्ति	3054	-450.00	...	-450.00	-264.00	...	-264.00	-433.00	...
जोड़		450.00	...	450.00	264.00	...	264.00	433.00	...
अन्य परिवहन सेवाएं									
20. लाभांश राहतों और अन्य रिआयतों के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता	3075	...	1128.94	1128.94	...	1071.26	1071.26	...	1213.43
21. ईराक में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए राइट्स को दी गई प्रति-गारंटी की राशि के निपटान के लिए रेलवे मंत्रालय को सहायता	3075	130.70	130.70
घटाइए : गारंटी मोचन निधि से अंतरण	3075	-130.70	-130.70
निवल	

मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004				
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़		
	(करोड़ रुपए)										
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं											
22. युद्ध-जोखिम (मेरिन-हल्स) पुनर्बीमा योजनाएं आदि	3475	...	0.52	0.52	...	0.45	0.45	...	0.52	0.52	
23. आपात जोखिम बीमा निधि - अंतरण को	3475	...	9.90	9.90	...	9.80	9.80	...	9.80	9.80	
से	3475	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	-0.50	
			<i>निवल</i>	<i>9.40</i>	<i>9.40</i>	...	<i>9.30</i>	<i>9.30</i>	...	<i>9.30</i>	<i>9.30</i>
24. भारतीय निवेश केन्द्र को अनुदान	3475	...	2.50	2.50	...	2.30	2.30	...	2.50	2.50	
25. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	3475	...	5.54	5.54	...	5.92	5.92	...	5.99	5.99	
26. अनिवासी भारतीय बांड योजना के अंतर्गत मुद्रा हानि	3475	...	1.34	1.34	...	1.34	1.34	...	1.34	1.34	
27. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को सहायता	7475	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	
28. आधारभूत ढांचा विकास के लिए सहायता	3475	2000.00	...	2000.00	
29. अन्य व्यय	3475	...	9.10	9.10	...	9.80	9.80	...	9.02	9.02	
अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग											
30. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को अंशदान	3605	...	21.13	21.13	...	22.49	22.49	...	22.93	22.93	
31. अन्य देशों के साथ सहयोग	3605	...	16.15	16.15	...	16.13	16.13	...	16.57	16.57	
32.	3605	2.55	2.55	
33. विदेशी सरकारों को अग्रिम											
(क) इराक	7605	...	1.00	1.00	0.61	0.61	
(ख) लाओस	7605	3.05	3.05	
(ग) मारिशस	7605	...	131.55	131.55	...	39.00	39.00	...	63.54	63.54	
(घ) म्यांमार	7605	...	10.00	10.00	...	40.00	40.00	...	6.11	6.11	
(ङ) श्रीलंका	7605	...	190.00	190.00	...	170.00	170.00	...	56.21	56.21	
(च) वियतनाम	7605	...	35.00	35.00	...	24.25	24.25	...	21.38	21.38	
(छ) मध्य एशियाई गणतंत्र (कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, किरगीजस्तान और तुर्कमेनिस्तान)	7605	...	38.00	38.00	0.02	0.02	
(ज) सेशल्स	7605	...	1.00	1.00	...	0.22	0.22	
(झ) कम्बोडिया	7605	...	5.00	5.00	3.05	3.05	
(ञ) मलेशिया	7605	...	20.00	20.00	3.05	3.05	
जोड़	431.55	431.55	...	273.47	273.47	...	157.02	157.02	
34. विकास सहायता	3605	100.00	100.00	
	7605	100.00	100.00	
जोड़	200.00	200.00	
कुल जोड़			454.65	1736.59	2191.24	265.93	1531.62	1797.55	2436.38	1768.26	4204.64
ग. आयोजना परिव्यय											
विकास शीर्ष											
1. नौवहन	13052	
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	22235	
3. सड़कें और पुल	13054	450.00	...	450.00	264.00	...	264.00	433.00	...	433.00	
4. विविध सामान्य सेवाएं	32075	4.65	...	4.65	1.93	...	1.93	3.38	...	3.38	
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	2000.00	...	2000.00	
जोड़		454.65	...	454.65	265.93	...	265.93	2436.38	...	2436.38	

1. इसमें आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. इसमें देश भर में क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित राष्ट्रीय बचत संगठन के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

3. यह प्रावधान अनिवार्य जमा (आयकरदाता) योजना के तहत ब्याज संदाय पर व्यय के लिए है। अनिवार्य जमा (आयकरदाता) अधिनियम, 1974, 1.4.1996 से निरस्त कर दिया गया है और वापस न ली गई जमा राशियों पर उस तारीख से ब्याज लगना बंद हो जाएगा। यह प्रावधान 31.3.1996 तक वापस न ली गई जमा राशियों पर ब्याज संदाय के लिए है।

4. यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की वर्धित संरचनात्मक समायोजन सुविधा न्यास निधि में भारत के अंशदान के लिए किया गया है।

5. इसमें मुख्यतः अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत अदायगियों, प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अनियमितताओं की जांच हेतु गठित अभिरक्षक तथा विशेष न्यायालय के कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रेजिडेंट के कार्यालय और यू.एन.सी.टी.ए.डी. न्यास निधि में अंशदान तथा भा.रि. बैंक को सहायता अनुदान के लिए प्रावधान किया गया है।

6-9. यह प्रावधान औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण संबंधी अपीलीय प्राधिकरण, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, ऋण वसूली न्यायाधिकरण तथा 12वें वित्त आयोग के लिए है।

10. यह प्रावधान बीमा विकास तथा विनियामक प्राधिकरण को सहायता यदि आवश्यक हो, प्रदान करने के लिए एक सांकेतिक प्रावधान है।

11. यह प्रावधान पेंशन निधि विनायमक प्राधिकरण के लिए है।

12. यह प्रावधान प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए है।
13. सं.अ. 2002-2003 में प्रावधान एन.एस.ओ. में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए किया गया है।
14. इसमें मियादी मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज संदायों और सरकारी खातों में जमा अस्वामिक प्रतिभूतियों तथा यू.एन.डी.पी. द्वारा वित्तपोषित आर्थिक सुधार कार्यक्रम के लिए सहायतानुदान के संबंध में भुगतान के लिए प्रावधान शामिल है।
15. यह प्रावधान साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा निर्धनों के लिए चलाई जा रही विभिन्न बीमा योजनाओं के लिए है। केवल सांकेतिक प्रावधान किया गया है क्योंकि ये योजनाएं बंद कर दी गई हैं।
16. इसमें नवम्बर, 1984 के दंगों से प्रभावित लोगों को उनके अपने सामान्य व्यवसाय में लगाने तथा अपने घरों की मरम्मत करने आदि में समर्थ बनाने हेतु वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज संबंधी राहत देने के लिए प्रावधान किया गया है।
17. यह प्रावधान सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन निधि में अंशदान के लिए है।
18. यह प्रावधान संरक्षित बचत योजना के लिए है।
19. पेट्रोल तथा डीजल पर 1 रुपया प्रति लीटर की दर से लगाया गया उपकर भारत के लोक लेखा में केन्द्रीय सड़क निधि में जमा कर दिया जाता है। यह अंशदान स्वतः चालित रेलवे क्रासिंग पर रेलवे उपरिसेतुओं/रेलवे सुरक्षा कार्यों के निर्माण के वित्तपोषण हेतु है।
20. यह सामान्य राजस्व में से रेलवे को देय लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए आर्थिक सहायता का द्योतक है।
21. सं.अ. 2002-2003 में यह प्रावधान इराक में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए राइटस को प्रति गारंटी दी गई राशि के निपटान के लिए रेल मंत्रालय को सहायता देने के लिए किया गया है। इसे गारंटी मोचन निधि से समतुल्य वसूली द्वारा पूरा किया जाएगा।
- 22 और 23. विभिन्न जोखिम बीमा योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त प्रीमियमों को लोक खाते की आरक्षण निधि में अन्तरित कर दिया जाता है जिसमें से इन योजनाओं के व्यय को पूरा किया जाता है। ये लेन-देन भारतीय समेकित निधि के माध्यम से किए जाते हैं। व्यय का यह प्रावधान मुख्यतया युद्ध जोखिम (मेरीन हल्ज) पुनर्बीमा योजना के लिए है; इसमें आपात जोखिम (माल, कारखाने तथा उपक्रम) बीमा योजनाओं की बकाया देय राशि का निपटान भी शामिल है।
24. यह अनुदान सहायता भारतीय निवेश केन्द्र को अपने स्थापना व्यय पूरा करने के लिए दिया जाता है। भारतीय निवेश केन्द्र भारत में अनिवासी भारतीयों द्वारा दिए जाने वाले निवेश सहित विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित करता है, विदेशों से प्रौद्योगिकी का आयात सुलभ कराता है और भारत की निवेश नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में विदेशी निवेशकों को सूचना प्रदान करता है।
25. इसमें एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता योजना के लिए और तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि में अंशदान के लिए प्रावधान शामिल है।
26. अनिवासी भारतीय बांड योजना के अंतर्गत मुद्रा हानि के लिए प्रावधान किया गया है।
27. कार्यालय के लिए भवनों के अधिग्रहण हेतु सेबी के लिए तदर्थ प्रावधान किया गया है।
28. यह प्रावधान रेलवे, सड़क, वायुपत्तन, समुद्रीपत्तनों आदि के अंतर्गत आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता देते हुए एक नए निधिपोषण तंत्र की व्यवस्था के लिए है।
29. इसमें भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण; वाशिंगटन और टोकियो में भारत के राजदूतावास के आर्थिक स्कंध; आर्थिक अध्ययन अनुसंधान के लिए संस्थाओं/संगठनों को अनुदान, गरीबों के लिए संरक्षित बचत योजना के बीमा संघटक आदि के व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।
- 30 और 31. इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान और कोलम्बो योजना के अंतर्गत दक्षिण-पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता और विश्व पर्यावरणीय सुविधा, जो विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित एक प्रायोगिक कार्यक्रम है, को अंशदान के लिए प्रावधान शामिल है जिसके अंतर्गत विकासशील देशों को विश्व पर्यावरण का संरक्षण करने वाले उनके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायता हेतु अनुदान अथवा रियायती ऋण प्रदान किए जाएंगे।
32. सं.अ. 2002-2003 में प्रावधान भारत में आयोजित जी-20 सम्मेलन पर व्यय को पूरा करने के लिए किया गया है।
33. इसके अंतर्गत मित्र विकासशील देशों को उदार शर्तों के आधार पर ऋण देने के लिए प्रावधान किया गया है।
34. यह प्रावधान भारत के व्यापार के समग्र, सामान्य व भावी विकास के लिए सहायता देने और अन्य देशों के साथ तकनीकी-आर्थिक और बौद्धिक सहयोग सुदृढ़ करने के लिए है।